(22)

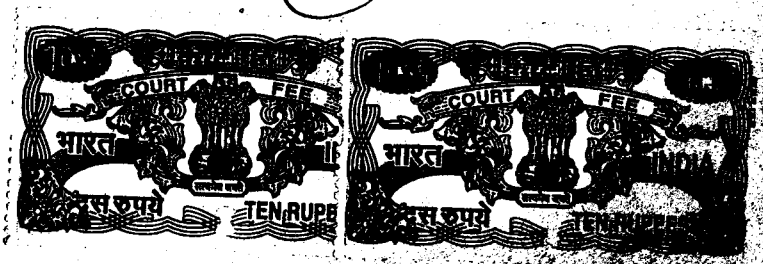

न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वा
प्रकरण क्रमांक 1306 पीबीआर/2015

लक्ष्मीनारायण आ. श्री नर्बद सिह आयु वयस्क
निवासी ग्राम रामदासी तहसील इछावर जिला सीहोर।..........

विरुद्ध

Reg 1179-II/17

म0प्र0 शासन।..........

पुर्नविलोकन अंतर्गत धारा 51 म.प्र.भू.रा.संहिता
दिनांक 12/01/2017 निगरानी क्रमांक 130

प्रकरण जो आहुत किये जाने हैः–

01. प्रकरण क्रमांक 3/अ–68/14–15 (म0प्र0 शासन
पारित द्वारा अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय
इछावर द्वारा पारित दिनांक 15/05/2015

02. प्रकरण क्रमांक 31/अपील/14–15 अनुविभागीय
इछावर

03. प्रकरण क्रमांक 78/अ–68/13–14 पारित आदेश दि
द्वारा श्रीमान् अपर तहसीलदार महोदय इछावर

श्रीमान् जी,

आवेदक/पुर्नविलोकनकर्ता के द्वारा माननीय न्यायालय में आदेश दिनांक अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी महोदय, इछावर क्षैत्राधिकार से परे जाकर पारित आदेश से परिवेदित एवं दुखी होकर माननीय न्यायालय ने निरस्त की गई है जिसे इस पुर्नविलोकन के मा करता हैः–

पुर्नविलोकन के तथ्य

01. यह कि माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक के द्वारा यह अधीनस्थ नायब तहसीलदार महोदय के द्वारा भूमि सर्वे नंबर 213 हैक्टेयर स्थित ग्राम रामदासी तहसील इछावर जिला सीहोर म.प्र.शासन भूमि सर्वे नंबर 213/1ख का भाग 0.100 हेक्टेयर पर अपीलार्थी का कपोल कल्पित प्रकिया अपनाते हुये अवैधानिक तरीके से बे 29/03/2014 को पारित किया गया है जिसे अपीलार्थी प्रथम अ महोदय तहसील इछावर के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसके साथ सं. का वास्ते स्थगन हेतु संलग्न किया गया पंरतु अधीनस्थ

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यु 1179–दो/17 जिला –सीहोर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकार अभि के ह
02.05.17	आवेदक की ओर से श्री एन0 एस0 ठाकुर उपस्थित। उनके द्वारा प्रकरण की ग्राह्यता पर तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के ग्राह्यता प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । यह रिव्यु आवेदन पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 1306–अध्यक्ष/2015 में पारित आदेश दिनांक 12.01.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 1179–दो/2017 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। आवेदक की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 1306–अध्यक्ष/15 में वर्णित हैं। जिनका निराकरण आदेश दिनांक 12.01.2017 से किया जा चुका है। रिव्यु प्र0क0 1179–दो/2017 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार बताये	

गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है:—

1— नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी।

2— अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती।

3— कोई अन्य पर्याप्त कारण।

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है । उभय पक्ष सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण संचय हेतु अभिलेखागार में भेजा जावे।

सदस्य